

# कार्यालय—जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना(म0प्र0)

दूरभाष क्रमांक—07532—232694

{विधि पुस्तके कय किए जाने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना}

क्रमांक ३५९३ / दो—१८—१ / २०१० / ग्रंथालय मुरैना, दिनांक:—३०.०९.२०२०  
६।।१०।।

जिला एवं सत्र न्यायालय मुरैना के कार्यालयीन एवं न्यायालयीन उपयोग के लिए विधि पुस्तक कय किए जाने हेतु विधि पुस्तक विकेताओं से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:-

क्र.क्र.	आवश्यक पुस्तकों का विवरण	भाषा	पुस्तकों की संख्या
1.	दण्ड प्रक्रिया संहिता—यथासंशोधित (कमेन्ट्री) लेखक— रतनलाल धीरजलाल	हिन्दी	4
2.	भारतीय दण्ड संहिता—यथासंशोधित (कमेन्ट्री) लेखक— रतनलाल धीरजलाल	हिन्दी	4
3.	मोटरयान अधिनियम—यथासंशोधित मय कमेन्ट्री	हिन्दी	4
4.	म.प्र. राज्य के माइनर एक्ट्स—संशोधित	हिन्दी	6
5.	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम—यथासंशोधित (कमेन्ट्री)	हिन्दी	4
6.	आबकारी अधिनियम—यथासंशोधित	हिन्दी	4
7.	वन अधिनियम—यथासंशोधित	हिन्दी	4
8.	किमिनल माइनर एक्ट—यथासंशोधित ।	अंग्रेजी	3
9.	भारतीय साइय अधिनियम (संशोधित) (कमेन्ट्री)	हिन्दी	4
10.	परकार्य लिखित अधिनियम (संशोधित)	हिन्दी	6
11.	म.प्र. भू—राजस्व संहिता (संशोधित)	हिन्दी	6
12.	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1989, हिन्दी संस्करण—यथासंशोधित	हिन्दी	1
13.	एम.पी. स्थान नियंत्रण अधिनियम (द्विभाषीय)	हिन्दी / द्विभाषी	6
14.	यूनिवर्सल पब्लिकेशन किमिनल मेजर एक्ट का वेयर एक्ट (अंग्रेजी)	द्विभाषी	6
15.	यूनिवर्सल पब्लिकेशन सिविल प्रोसीजर कोड एक्ट का वेयर एक्ट (अंग्रेजी)	द्विभाषी	6
16.	विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम	द्विभाषी	6
17.	परिसीमा अधिनियम	द्विभाषी	5
18.	म.प्र. डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम	हिन्दी	5

	1981		
19.	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012	हिन्दी	4
20.	विद्युत अधिनियम 2003	हिन्दी	4
21.	खाद्य सुरक्षा अधिनियम	हिन्दी	2
22.	आवश्यक वस्तु अधिनियम	हिन्दी	2
23.	गौवंश प्रतिषेध अधिनियम	हिन्दी	2
24.	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख संरक्षण) अधिनियम 2000 तथा नियम 2007	हिन्दी	6
25.	ज्यूरिसप्रूडेन्स (लेखक जे.पी. मोदी)	अंग्रेजी / हिन्दी	2
26.	दण्ड विधि संग्रह (लेखक श्रवण कुमार जैन)	हिन्दी	3
27.	निषेपकों का हित संरक्षण अधिनियम	हिन्दी-1 अंग्रेजी-1	1+1
28.	सिविल सेवा आचरण नियम 1966	हिन्दी	1
29.	मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियम 2018 (संशोधित)	हिन्दी	1
30.	एम.पी. पुलिस मेन्युअल	द्विभाषी	5
31.	जेल मेन्युअल	द्विभाषी	5
32.	एम.पी.एकमन्डेशन कन्ट्रोल एक्ट 1956 जिंदल	द्विभाषी	5
33.	हिन्दू लॉ, हिन्दू साक्षोशन एक्ट-1956	द्विभाषी	5
34.	कॉन्ट्रोल एक्ट	द्विभाषी	5
35.	दहेज प्रतिषेध अधिनियम	द्विभाषी	5
36.	सीपीसी कमेन्ट्री	द्विभाषी	5
37.	सिविल कोर्ट्स रूल्स	द्विभाषी	5
38.	किमिनल कोर्ट्स रूल्स	द्विभाषी	5
39.	आर्स एक्ट	द्विभाषी	5
40.	एन.आई.एक्ट	द्विभाषी	5
41.	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम	द्विभाषी	5
42.	<b>POCSO ACT</b>	द्विभाषी	5
43.	<b>SC/ST ACT</b>	द्विभाषी	5
44.	कार्यालय उपयोग हेतु All in one 2020	हिन्दी	1
45.	सुविधा लॉ बुक 2020	हिन्दी	1

इच्छुक विधि पुस्तक विकेता कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना के कार्यालय अनुभाग से ई-टेंडर/निविदा के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्तकर दिनांक—20.10.2020 के साथकाल 05:00 बजे तक बंद लिफाफे में “जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना” के नाम से आवक—जावक शाखा में अथवा कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना की ई—मेल आई.डी. क्रमांक—dcourtmor-mp@nic.in के माध्यम से निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं।

निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विवार नहीं किया जावेगा तथा प्राप्त निविदाओं को दिनांक—21.10.2020 को प्रातः 11:00 बजे विभागीय क्य समिति द्वारा खोला जावेगा। निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार क्य समिति को होगा। निविदा की शर्तें संलग्न हैं।

प्रभारी अधिकारी क्रांत्यालय अनुभाग/  
प्रथम अपर जिला जज  
मुरैना(म0प्र0)

# कार्यालय-जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना(म0प्र0)

दूरभाष कमाक-07532-232694

## {विधि पुस्तक क्य किए जाने वालत निविदा शर्तें}

1. सील बंद निविदाएं जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना के नाम से प्रेषित की जाना चाहिए।
2. लिफाफे पर स्पष्ट रूप से विधि पुस्तक क्य किए जाने हेतु निविदा लिखा जाना चाहिए।
3. नियत समयावधि के पश्चात् निविदा प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. आदेशानुसार वांछित विधि पुस्तकें जिला एवं सत्र न्यायालय मुरैना के कक्ष तक पहुंचाने का समस्त उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा।
5. जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये निविदाओं को निरस्त कर सकते हैं अथवा विधि पुस्तकों की संख्या कम या अधिक कर सकते हैं।
6. निविदा में प्रत्येक विधि पुस्तक के प्रकाशक का नाम एवं निर्धारित मूल्य पर दी जाने वाली छूट आदि का विवरण देना अनिवार्य होगा।
7. निविदाकर्ता वाणिज्यिक विभाग से पंजीयन होने का जीवित प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
8. किसी भी शर्त के भंग होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय मुरैना को अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा।
9. सभी विधि पुस्तकों की दरें उस पर देय समस्त करों (जीएसटी) सहित दी जावें।

प्रभारी अधिकारी ग्रंथालय अनुभाग /

प्रथम अपर जिला जज

मुरैना(म0प्र0)